न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 153 / 2021 दायर दिनांकः 25 / 08 / 2021

उनवान

1. शिवप्रसाद आयु 58 वर्ष पुत्र किशोरीलाल जाति जाट निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) मो0न0—9414764777 ....वादी

बनाम

1. चांद बाई आयु 60 वर्ष पुत्री किशोरीलाल जाति जाट निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. सुनिता पत्नि गणेशराम जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. हेमलता पत्नि रामराज जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल लाड़पुर तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी (राज0)
4. कमलेश पत्नि लालवीर जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल रहलावन तह0 किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. सन्जूबाई पत्नि घांसीलाल जाति जाट निवासी दीलोदहाथी हाल देही तहसील नेनवा जिला बून्दी (राज0)
6. मनीषा पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल पेच की बावड़ी तहसील हिन्ड़ोली जिला बून्दी (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

.........प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर0टी0एक्ट0</u>

<u>व 136 एल0आर0एक्ट0</u>

वादी निम्नलिखित आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत करता हैं कि यह कि वाके ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू की खाता संख्या 548 का ख0न0 1008 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 1016 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 1506 का रकबा 0.52 है0, ख0न0 1508 / 2114 का रकबा 0.08 है0, ख0न0 1510 का रकबा 2.17 है0, ख0न0 1512 का रकबा 6.24 है0, ख0न0

1514 का रकबा 1.31 है0, ख0न0 1804 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 1805 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 1835 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 1836 का रकबा 0.37 है0, ख0न0 1838/2137 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 652 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 आराजी वादी के हिस्सा 1/2 एवं मृतक प्रेमबाई के हिस्सा 1/2 दर्ज खाता हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 का पुराना खाता संख्या 243 का ख0न0 378 का रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 381 का रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 395 का रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 410 का रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 413 का रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 414 का रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 615 का रकबा 61 बीघा, ख0न0 473 का रकबा 1 बीघा, ख0न0 478 का रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 781 का रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 833का रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 882 का रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 889 का रकबा 3 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 890 का रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 924 का रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 925 का रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 1120 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1133 का रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 1135 का रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 1136 का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 1138 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1142 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 1173 का रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 1138/1272 का रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 424/1289 का रकबा 1 बीघा, कुल किता 25 का रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादी शिवप्रसाद वल्द किशोरीलाल व मुसम्मात केसर बाई हिस्सा 85 बीघा 17 बिस्वा समभाग में अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित थी जो सही दर्ज हैं। वादी की बहिन प्रतिवादी क्रम 1 चांद बाई ने अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग अपने भाई वादी शिवप्रसाद एवं उसकी मां केसर बाई के पक्ष में कर दिया था इसलिए उक्त आराजी में चांद बाई का नाम दर्ज नहीं हुआ परन्तु केसर बाई की मृत्यु होने के बाद केसर बाई के हिस्से 1/2 की आराजी में वादी शिवप्रसाद का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 1 चांदबाई का हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए जो आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने त्रुटि करके प्रेमबाई पत्नि शिवप्रसाद के नाम दर्ज कर दिया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040, 2052 से 2055 एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। यह कि आपके अधीनस्थ सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने केसर बाई की जगह प्रेमबाई पत्नि स्व0 शिवप्रसाद का नाम गलत दर्ज करने की त्रुटि की हैं जबकि वादी शिवप्रसाद की मां केसर बाई की मृत्यु होने

के बाद उसके हिस्सा 1/2 की आराजी पर उसके पुत्र वादी शिवप्रसाद व उसकी पुत्री प्रतिवादी क्रम 1 चांद बाई का नाम दर्ज करना चाहिए था उक्त त्रुटि आपके अधीनस्थ सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा की गई हैं जिसे वादी दुरस्त करवाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। यह कि सहखातेदार प्रेमबाई की मृत्यु हो चुकी हैं जबकि शिवप्रसाद की मृत्यु नहीं हुई हैं इसलिए मृतक प्रेमबाई के वारिसान को प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 6 बनाकर यह वाद पेश किया गया हैं। यह कि बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वादी को कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर दिया या आराजी में अपना नाम दर्ज करवाकर आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण कर दिया तो वादी को अपने कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेंगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तू वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 में मृतक प्रेम बाई का नाम हटाकर उसके हिस्से 1/2 की आराजी पर वादी को हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 1 चांद बाई को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरस्त किया जाकर वादी को कुल हिस्सा 3/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को इस आशय की आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादी को आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें। यह कि वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ सेटलमेन्ट कर्मचारीगण द्वारा वादी की मां मृतक केसर बाई के स्थान पर वादी एवं उसकी बहिन चांद बाई का नाम दर्ज नहीं कर सहवन से मृतक प्रेमबाई का नाम दर्ज करने पर एवं अन्तिम बार दिनांक 05/07/2021 को पटवार हल्का द्वारा हिस्सा 1/2 की आराजी पर मृतक प्रेमबाई का नाम दर्ज होने की जानकारी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। यह कि राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ

माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। यह कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम दीलोद हाथी पटवार मण्ड़ल दीलोद हाथी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। यह कि वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।यह कि वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। अत : माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि –

(अ) यह कि वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 में मृतक प्रेम बाई का नाम हटाकर उसके हिस्से 1/2 की आराजी पर वादी को हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 1 चांद बाई को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रिकॉर्ड दुरस्त किया जाकर वादी को कुल हिस्सा 3/4 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को इस आशय की आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादी को आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। सम्मन बाद तामील अप्राप्त हुए। अतः प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की तलबी जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. की गई। प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 की तलबी जरिए अखबार साया करायी गयी। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 बावजूद सूचना जानबूझकर अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी क्रम 7 सम्मन की तामील के बावजूद भी अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 से Pw_4 के शपथ पत्र पेश किये गये। जिन्हें शामील फाईल किया गया और शपथ दिलाई गई। Pw_1 शिवप्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाट द्वारा सशपथ बयान दिये कि ग्राम दिलोदहाथी की खाता संख्या 548 कुल किता 13 कुल रकबा 11.52 है0 आराजी में मेरा हिस्सा 1/2 एवं मेरी मृत्तक पत्नी प्रेम बाई का हिस्सा 1/2 खाता दर्ज है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि मेरे एवं मेरी मां केसर बाई के समभाग में सह खातेदारी दर्ज थी। मेरी बहिन चांद बाई ने उनके हिस्से की आराजी का मेरे और मेरी माताजी के पक्ष में हकत्याग कर दिया था। मेरी मां केसर बाई की मृत्यु होने के बाद उनके 1/2 हिस्से पर मेरा और मेरी बहिन चांद बाई का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था, लेकिन सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने त्रूटि करके हमारी जगह मेरी पत्नी प्रेम बाई का 1/2 हिस्सा दर्ज कर लिया था। प्रेम बाई की मृत्यु हो चुकी है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर में कब्जे काश्त हूॅं। Pw_2 देवीलाल पुत्र उदालाल जाति गुर्जर उम्र 72 वर्ष निवासी बरावदी ने सशपथ बयान दिये कि शिवप्रसाद का खेत मेरे खेत के पास में स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा आराजी शिवप्रसाद व मुसम्मात केसरबाई हिस्सा 85 बीघा 17 बिस्वा समभाग में अन्य सह खातेदारों के साथ खाता दर्ज थी, जो सही है। शिवप्रसाद की बहिन ने उनके हिस्से की आराजी उसके भाई शिवप्रसाद व माता केसर बाई के पक्ष में कर दिया था। केसर बाई की मृत्यु के बाद सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने त्रूटि करके शिवप्रसाद व चांद बाई के 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज करने के बजाय प्रेम बाई के 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रेमबाई की मृत्यु हो चुकी है। अतः मृत्तक प्रेम बाई का नाम हटाकर शिवप्रसाद एवं बहिन चांद बाई नाम दर्ज होना चाहिए। Pw_3 मन्नालाल पुत्र प्रभूलाल जाति जाट उम्र 72 वर्ष निवासी दिलोदहाथी ने सशपथ बयान दिये कि शिवप्रसाद का खेत मेरे खेत के पास में स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा आराजी शिवप्रसाद व मुसम्मात केसरबाई हिस्सा 85 बीघा 17 बिस्वा समभाग में अन्य सह खातेदारों के साथ खाता दर्ज थी, जो सही है। शिवप्रसाद की बहिन ने उनके हिस्से की आराजी उसके भाई शिवप्रसाद व माता केसर बाई के पक्ष में कर दिया था। केसर बाई की मृत्यु के बाद सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने त्रूटि करके प्रेम बाई के 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जो कि शिवप्रसाद व प्रतिवादिया क्रम 1 चांद बाई का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। अतः मृत्तक प्रेम बाई का नाम हटाकर

शिवप्रसाद एवं बहिन चांद बाई नाम दर्ज होना चाहिए। प्रेमबाई की मृत्यु हो चुकी है। Pw_4 नन्दलाल पुत्र उदालाल उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी पिपल्दा तहसील खानपुर ने सशपथ बयान दिये कि शिवप्रसाद का खेत मेरे खेत के पास में स्थित है। सेटलमेंट से पूर्व रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा आराजी शिवप्रसाद व मुसम्मात केसरबाई हिस्सा 85 बीघा 17 बिस्वा समभाग में अन्य सह खातेदारों के साथ खाता दर्ज थी, जो सही है। शिवप्रसाद की बहिन ने उनके हिस्से की आराजी उसके भाई शिवप्रसाद व माता केसर बाई के पक्ष में कर दिया था। केसर बाई की मृत्यु के बाद सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने त्रूटि करके शिवप्रसाद व चांद बाई के 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज करने के बजाय प्रेम बाई के 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रेमबाई की मृत्यु हो चुकी है। अतः मृत्तक प्रेम बाई का नाम हटाकर शिवप्रसाद एवं बहिन चांद बाई नाम दर्ज होना चाहिए

4. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद न0 2 में वर्णित आराजी पुराना खाता संख्या 243 का ख0न0 378 का रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 381 का रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 395 का रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 410 का रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 413 का रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 414 का रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 615 का रकबा 61 बीघा, ख0न0 473 का रकबा 1 बीघा, ख0न0 478 का रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 781 का रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 833का रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 882 का रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 889 का रकबा 3 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 890 का रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 924 का रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 925 का रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 1120 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1133 का रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 1135 का रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 1136 का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 1138 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1142 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 1173 का रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 1138/1272 का रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 424/1289 का रकबा 1 बीघा, कुल किता 25 का रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादी शिवप्रसाद वल्द किशोरीलाल व मुसम्मात केसर बाई हिस्सा 85 बीघा 17 बिस्वा समभाग में अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित थी जो सही दर्ज हैं। वादी की बहिन प्रतिवादी क्रम 1 चांद बाई ने अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग अपने भाई वादी शिवप्रसाद एवं उसकी मां केसर बाई के पक्ष में कर दिया था इसलिए उक्त आराजी में चांद बाई का नाम दर्ज नहीं हुआ परन्तु केसर बाई की मृत्यु होने के बाद केसर

बाई के हिस्से 1/2 की आराजी में वादी शिवप्रसाद का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी क्रम 1 चांदबाई का हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए जो आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने त्रुटि करके बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रेमबाई पत्नि शिवप्रसाद के नाम दर्ज कर दिया जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्व है। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के फेरबदल करने का कोई अधिकार नही है, वह पुराने इन्द्राजात को ही दोहरा सकते है। ऐसे त्रूटिपूर्ण इन्द्राज के सुधार करने का प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के साथ ही धारा–88 में प्रावधान किया गया है। ऐसी त्रूटि की सुधार के अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी/ भू–अभिलेख अधिकारी की बनती है।

5. अभिभाषक वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे.(10) 2003 पेज न0 118 रूपनारायण बनाम कजोडमल राजस्व मण्डल, 2009(2) आर.आर.टी. 954 मोहम्मद मुस्ताक व अन्य बनाम पीरू व अन्य राजस्व मण्डल, 1969 आर.आर.डी. 231, आर.बी.जे.(13) 2006 निहाल सिंह बनाम बस्तीराम, 2007(1) आर.आर.टी 27 आदि पेश की।

6. विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गम्भीरता से अध्ययन किया गया। ग्राम एवं माल दिलोदहाथी की सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 (प्रदर्स–10 व 11) जमाबंदी सम्वत 2021–2024 (प्रदर्स–12व प्रदर्स–13) के अवलोकन से जाहिर है कि पुराना ख0न0 378 का रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 381 का रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 395 का रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 410 का रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 413 का रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 414 का रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 615 का रकबा 61 बीघा, ख0न0 473 का रकबा 1 बीघा, ख0न0 478 का रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 781 का रकबा 8 बिस्वा, ख0न0 833का रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 882 का रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 889 का रकबा 3 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 890 का रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख0न0 924 का रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 925 का रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 1120 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1133 का रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 1135 का रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 1136 का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 1138 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 1142 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 1173 का रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 1138/1272 का रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 424/1289 का रकबा 1 बीघा, कुल किता 25 का रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा

आराजी वादी शिवप्रसाद के पिता किशोरीलाल वल्द जोडूराम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड थी। जमाबंदी सम्वत् 2037 से 2040 (प्रदर्स–5) के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त भूमि कुल किता 25 कुल रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा में वादी शिवप्रसाद वल्द किशोरीलाल व माता केसर बाई का हिस्सा 85 बीघा 17 बिस्वा समभाग में अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सेटलमेंट से पूर्व ग्राम दिलोदहाथी की उक्त विवादित आराजी 85 बीघा और 17 बिस्वा वादी शिवप्रसाद वल्द किशोरीलाल व माता केसर बाई के खाते दर्ज थी। इसी दौरान दिनांक 23.03.1985 को सह खातेदार केसर बाई पत्नी किशोरीलाल की मृत्यु हो गई थी (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)। मृतका केसर बाई का फौती इन्तकाल खुलने से पहले ही तहसील अटरू में सेटलमेंट विभाग द्वारा भू–प्रबन्धन का कार्य शुरू कर दिया गया था। सेटलमेंट विभाग की ग्राम दिलोदहाथी की जमाबंदी सम्वत् 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 (प्रदर्स–3) एवं जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055 (प्रदर्स–2) में उक्त विवादित आराजी वादी शिवप्रसाद पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/2 व प्रेम बाई पत्नी शिवप्रसाद जाति जाट हिस्सा 1/2 दर्ज है। सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा केसर बाई पत्नी किशोरीलाल की जगह प्रेम बाई पत्नी शिवप्रसाद का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया– इसका कोई उल्लेख नही है। प्रदर्स–2, प्रदर्स–3, प्रदर्स–4, प्रदर्स–5, प्रदर्स–10, प्रदर्स–11, प्रदर्स–12, प्रदर्स–13, प्रदर्स–14, प्रदर्स–15, प्रदर्स–16, प्रदर्स–17, प्रदर्स–18 व प्रदर्स–19 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश के अपनी इच्छा से जमाबंदी सम्वत् 2037 से 2040 की मूल प्रविष्टियों में परिवर्तन कर खातेदार केसर बाई की मृत्यु के कारण उनके वारिसान शिवप्रसाद व चांद बाई की जगह प्रेम बाई पत्नी शिवप्रसाद का नाम दर्ज कर दिया, जो कि विधि विरूद्व है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे(10) 2003 पेज न0 118 रूपनारायण बनाम कजोडमल में राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त का उल्लेख करना जरूरी है जो निम्नानुसार है– RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-Sattlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- In the case during the settlement operations, Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non applicants, whereas settlement authorities have no right to delete the

original entry and make new entries without any order of the competent Court Revision accepted.

2008(1) आर.आर.टी 151 गीगा राम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि– Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 88- Suit for declaration-Petitioners declared khatedar tenant of Kh. No. 734-RAA reversed the judgement and upheld by BOR-Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent No.4-Respondent No. 4 should have filed an independent suit-Held, RAA and Board were not justified in reversing the judgement and decree.

2009(2) RRT 954 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, Mohammad Mushtaq and anr. Vs. Peeru and Ors.- Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 136-Application for correction of entries – Notice issues to respondent P but did not appear and as per jamabandi of Svt. 2034-37, Collector ordered to enter the land as Siwai Chak in khata No.1- L.R.O. is empowered to correct the entries- Settlement authorities have no power to change the original entries-Concurrent findings are just and legal- Held, orders upheld.

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर जाहिर है कि केसर बाई पत्नी किशोरीलाल जाति जाट की मृत्यु (दिनांक 23.03.1985) के बाद उनके खाते दर्ज 1/2 हिस्से भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 एवं संशोधित अधिनियम, 2005 के अनुसार वादी शिवप्रसाद एवं प्रतिवादिया क्रम 1 चांद बाई का हक एवं अधिकार है। केसर बाई की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल के तहत मृतका के वारिसान– वादी शिवप्रसाद एवं प्रतिवादिया क्रम 1 चांद बाई का नाम दर्ज रिकार्ड होना चाहिए था जबकि इसी बीच सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा वादी की पत्नी अर्थात् मृतका केसर बाई की बहू प्रेम बाई के खाते दर्ज कर दी गई थी जो विधि विरूद्व है। अतः मृतका केसर बाई के खाते दर्ज 1/2 हिस्से पर प्रेम बाई पत्नी शिवप्रसाद की जगह

वादी शिवप्रसाद पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादिया क्रम 1 चांद बाई पुत्री किशोरीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू की खाता संख्या 548 का ख0न0 1008 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 1016 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 1506 का रकबा 0.52 है0, ख0न0 1508/2114 का रकबा 0.08 है0, ख0न0 1510 का रकबा 2.17 है0, ख0न0 1512 का रकबा 6.24 है0, ख0न0 1514 का रकबा 1.31 है0, ख0न0 1804 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 1805 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 1835 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 1836 का रकबा 0.37 है0, ख0न0 1838/2137 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 652 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 मे सह खातेदार प्रेमबाई पत्नी शिवप्रसाद जाति जाट के हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादी शिवप्रसाद पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादिया क्रम 1 चांद बाई पुत्री किशोरीलाल हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 153/2021

उनवान

1. शिवप्रसाद आयु 58 वर्ष पुत्र किशोरीलाल जाति जाट निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

............वादी

बनाम

1. चांद बाई आयु 60 वर्ष पुत्री किशोरीलाल जाति जाट निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. सुनिता पत्नि गणेशराम जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. हेमलता पत्नि रामराज जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल लाड़पुर तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी (राज0)
4. कमलेश पत्नि लालवीर जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल रहलावन तह0 किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. सन्जूबाई पत्नि घांसीलाल जाति जाट निवासी दीलोदहाथी हाल देही तहसील नेनवा जिला बून्दी (राज0)
6. मनीषा पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी दीलोद हाथी हाल पेच की बावड़ी तहसील हिन्ड़ोली जिला बून्दी (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

.........प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर0टी0एक्ट0 व 136 एल0आर0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :-
वादी :-विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू की खाता संख्या 548 का ख0न0 1008 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 1016 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 1506 का रकबा 0.52 है0, ख0न0 1508/2114 का रकबा 0.08 है0, ख0न0 1510 का रकबा 2.17 है0, ख0न0 1512 का रकबा 6. 24 है0, ख0न0 1514 का रकबा 1.31 है0, ख0न0 1804 का रकबा 0.15 है0, ख0न0 1805 का रकबा 0.12 है0, ख0न0 1835 का रकबा 0.26 है0, ख0न0 1836 का रकबा 0.37 है0, ख0न0 1838/2137 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 652 का रकबा 0.12 है0 कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 मे सह खातेदार प्रेमबाई पत्नी शिवप्रसाद जाति जाट के हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादी शिवप्रसाद पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादिया क्रम 1 चांद बाई पुत्री किशोरीलाल हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/04/2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)